उत्तर प्रदेश शासन

चीनी उद्योग अनुभाग-1

संख्या:-43/2019/1543/46-1-2019-01/2019

लखनऊ: दिनांक 15 अक्टूबर, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

प्रदेश के बहुत से लोगों एवं दूसरे प्रदेशों से आने वाले बहुत से आगन्तुकों द्वारा चीनी मिलों का भ्रमण कर चीनी, एथनॉल आदि के उत्पादन एवं गन्ना पेराई की प्रक्रिया को देखने समझने की जिज्ञासा रहती है किन्तु उपयुक्त माध्यम एवं स्थल का ज्ञान न होने के कारण चीनी मिलों का भ्रमण नहीं कर पाते हैं। यदि ऐसी कोई व्यवस्था एवं माध्यम तैयार कर दिया जाये जिसके द्वारा इच्छुक व्यक्तियों को चीनी मिलों का भ्रमण कर चीनी उत्पादन आदि की प्रक्रिया जानना सुगम हो जाये तो न केवल लोगों का ज्ञान वर्धन होगा वरन इससे चीनी उद्योग क्षेत्र में पर्यटन को भी बढावा मिलेगा। प्रदेश में स्थित कई चीनी मिलें अत्याधुनिक तकनीकी से सुसज्जित एवं हाईवेज से जुड़ी हुई हैं तथा उनके मिल कैम्पस भी आकर्षक साज-सज्जा से युक्त है, जिन्हें शुगर टूरिज्म हेतु पर्यटन स्थल के रूप में उपयोग किया जा सकता है। अतः प्रदेश में शुगर टूरिज्म को बढावा देने हेतु संस्तुतियां दिये जाने के लिए निम्नानुसार कमेटी गठित की जाती है:

1. श्री विमल कुमार दुबे, प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल संघ- अध्यक्ष
2. निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद्, शाहजहांपुर द्वारा नामित प्रचार वैज्ञानिक- सदस्य
3. निदेशक, भा.ग.अनु.सं., लखनऊ द्वारा नामित प्रचार वैज्ञानिक - सदस्य
4. महानिदेशक, पर्यटन, उ.प्र. द्वारा नामित अधिकारी जो संयुक्त निदेशक - सदस्य स्तर से अन्यून हो
5. निदेशक, सूचना, उ.प्र. द्वारा नामित अधिकारी जो संयुक्त निदेशक स्तर - सदस्य से अन्यून हो
6. श्री दीपक गुप्तारा,महासचिव, उ.प्र. शुगर मिल्स एसोसिएशन - सदस्य
7. श्री वाई.एस. मलिक, अपर गन्ना आयुक्त, मुख्यालय - सचिव/समन्वयक सदस्य

उपर्युक्त कमेटी प्रदेश में शुगर टूरिज्म को बढावा देने हेतु उपयुक्त चीनी मिलों के चयन, टूरिज्म की प्रक्रिया, आवागमन की व्यवस्था एवं विभागीय स्तर पर सम्बन्धित चीनी मिलों एवं पर्यटन विभाग के साथ समन्वय आदि के सम्बन्ध में अपनी संस्तुतियां 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करेगी। यथावश्यकता समिति के अध्यक्ष किसी अन्य विशेषज्ञ को भी समिति हेतु नामित कर सकते है।

(संजय आर. भूसरेड्डी)

प्रमुख सचिव,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्याः-43/2019/1543(1)/46-19-1/2019, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ.प्र.।
2. महानिदेशक, पर्यटन, उ.प्र.।
3. प्रबंध निदेशक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि., लखनऊ।
4. निदेशक, सूचना, उ.प्र.।
5. निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद्, शाहजहांपुर।
6. निदेशक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ।
7. श्री वाई.एस. मलिक, अपर गन्ना आयुक्त, मुख्यालय।
8. श्री दीपक गुप्तारा,महासचिव, उ.प्र. शुगर मिल्स एसोसिएशन।

(कमल किशोर गुप्त)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।